**सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 153 के अधीन आवेदन पत्र**

**मृत प्रत्यर्थी सं.................... के विधिक प्रतिनिधियों को न पक्षकार बनाने की भूल के संशोधन के लिए आवेदन पत्र।**

अपील सं..................सन..................

**अबक**  ........ अपीलार्थी

बनाम

**कखग**  ......... प्रत्यर्थी

अपीलार्थीगण अति सादर पूर्वक निम्नलिखित रूप में निवेदन करते हैं

1. यह कि प्रत्यर्थी सं.................... एवम्................... ने अपीलार्थियों के विरुद्ध.. ...................केनाल्स...................मारलास के मापमान वाली भूमि के कब्जे के लिए एक वाद दाखिल किया जिस वाद की डिक्री तारीख .................... को विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गयी।
2. यह कि विचारण न्यायालय के निर्णय एवम् डिक्री की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण ने इस विद्वान न्यायालय, जिला न्यायाधीश के समक्ष वर्तमान प्रथम अपील दाखिल किया।
3. यह कि तद्नुसार, अपील समय के अन्दर दाखिल की गयी लेकिन इस प्रकार दाखिल की गयी अपील के दौरान अपील की नोटिस...................लिए प्रत्यर्थियों को जारी कर दी गयी।
4. यह कि तारीख................... को यह रिपोर्ट की गयी कि प्रत्यर्थी सं... की मृत्यु हो गयी थी।
5. यह कि कथित प्रत्यर्थी की मृत्यु के बारे में जाँच करने के पश्चात् अपीलार्थियों को उस भूल के सधार के लिए इस आवेदनपत्र को दाखिल करने के लिए आबद्ध किया गया जिसको वास्तव में उन अपीलार्थियों द्वारा कारित किया गया है जिन्हें अभियोजित की जाने वाली अपील के हितों में उसकी सर्वोत्तम सतर्कता को भी...................के समक्ष कथित प्रत्यर्थी की मृत्यु की जानकारी नहीं थी।
6. यह कि अपीलार्थीगण भी अभिलेख पर मृत प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधियों को लाने में मामले में कारित की हुई विलम्ब के दोषमार्जन हेतु भी आवेदन पत्र दाखिल कर रहा है।
7. यह कि यह न्यायहित में समीचीन है कि अपीलार्थियों द्वारा वास्तविक या सदभावना पक कारित की गयी उपर्युक्त भूल सुधारी जा सकेगी और अपील के पक्षकारों के इस आवेदन पब के पक्षकारों के में ऊपर वर्णित मृत................... के विधिक प्रतिनिधियों को लाकर के संशोधित किये जाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

**प्रार्थना**

यह अतएव, अति सादर प्रार्थना की जाती है कि मृत प्रत्यर्थियों के विधिक प्रतिनिधियों को लाने में अपीलार्थी द्वारा संशोधित किये जाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और.................. एवम..................., मृत विधिक प्रतिनिधि प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधियों को मृत प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधियों को मृत प्रत्यर्थी ................... के स्थान में प्रत्यर्थियों के (arrays) में जोड़ा जा सकेगा।

**दिनांक..............**

**अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता**

**आवेदन पत्र के समर्थन में शपथपत्र**

न्यायालय जिला न्यायाधीश.......................

इन

सिविल प्रकीर्ण आवेदन पत्र सं........................सन्. ........................

इन

सिविल अपील सं............. सन्. ........................

**अबक**  ........ अपीलार्थी

बनाम

**कखग**  ......... प्रत्यर्थी

.......................पुत्र. .......................उम्र..............लगभग वर्ष निवासी.......................

मैं, शपथकर्ता निम्नलिखित रूप में सत्यनिष्टा से कथन एवम् प्रतिज्ञान करता हूँ;

1. यह कि मैं उपर्युक्त अपील में अपीलार्थियों में से एक हूँ और ऐसे रूप में नीचे अभिसाक्ष्य में दिये तथ्यों से पूर्णतया परिचित हूं।
2. यह कि मुझे अभिलेख पर मृत प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधियों को लाने के लिए साथ दिये जा रहे प्रकीर्ण आवेदन पत्र की अन्तर्वस्तुओं तथा इस शपथपत्र के उन सभी को पढ़कर सनाया गया और स्पष्टीकरण दिया गया और मैंने उसको पूर्णतया समझ लिया हूं।
3. यह कि दिये जा रहे प्रकीर्ण आवेदन पत्र के पैरा 1 लगायत 6 अन्तर्वस्तुओं तथा इस शपथपत्र के पैरा 1 एवम् 2 के वे सभी मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और साथ दिये जा रहे आवेदन पत्र के पैरा 7 के वे सभी उस विधिक सलाह पर आधारित है जिसको मैं सत्य होने पर विश्वास करता हूँ। इस शपथ-पत्र का कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं छिपायी गयी है। ................में इस तारीख...................को सत्यापित किया गया।